was considered by the Government of India. According to the existing scheme of financing the relief expenditure, an additional amount of Rs. 61.16 crores was released by the Government of India as advance payment of Central contribution to State Calamity Relief Fund (CRF) in additional to an amount of Rs. 86.00 crores available in the State CRF during 1990-91, to enable the State Government to provide relief to various sectors including handloom weavers affected by the cyclone of May, 1990.

(c) Execution of relief operations in the wake of natural calamities is the responsibility of the State Government. It is for the State Government of Andhra Pradesh to execute the proposal for various sectors including rehabilitation of handloom weavers.

Functioning of public grievances cell of the Delhi Development Authority

*192. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Delhi Development Authority has streamlined the functioning of its public grievances cell;

(b) if so, the details thereof:

(c) the number of complaints received by the public grievances cell during the last one year and how many complaints out of them have been attended to so far; and

(d) the steps taken by Government to effectively deal with the complaints in the said cell of the Delhi Development Authority?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes. Sir.

(b) The Public Grievances Cell has been placed under a senior officer who reports directly to Vice-Chairman, DDA This officer has been given authority to monitor and coordinate all materials relating to disposal of grievances and complaints from the public received by various Departments. A system has also been drawn up to ensure that all complaints are registered, processed and disposed of within a specified time frame.

(c) During the year from 1.4.90 to 31.3.91, 2400 complaints were received by the Grievances Cell. Out of these 1600 complaints have been attended to.

(d) The recent posting of a senior officer of the rank of Joint Secretary to the Government of India as in-charge of Public Grievances Cell is expected to help in dealing effectively with the grievances of the public. A number of procedures in DDA have also been revamped and streamlined to curtails the delays and to introduce greater transperancy in the operations of DDA. Work done in the Cell is also being monitored periodically to devise further measures for the redressal of grievances.

खाद्यान्नों की भारी मात्रा में उपज

*193. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों की भरपूर उपज हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "खाद्यान्नों की भरपूर उपज को देखते हुए" सरकार खाद्यान्नों का निर्यात करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो इस वर्ष कितना खाद्यान्न निर्यात करने का प्रस्ताव हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्न में निर्यात का लाभ खाद्यान्न के उत्पादकों को पहुंचाने के लिये किसी योजना पर विचार किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ जब उत्पादन के अंतिम अनुमान 169.92 और 170.63 मिलियन मीटरी टन रहे । वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1990-91 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 176.0 से 176.5 मिलियन मीटरी टन तक होने की संभावना है जो कि लगातार एक तीसरा रिकार्ड वर्ष होगा ।

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन, आंतरिक उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुये सरकार ने 1990-91 और 1991-92 में निर्यात किये जाने के लिये 20 लाख मीटरी टन गेहूं और 10 लाख मीटरी टन गैर-बासमती चावल की कुल अधिकतम सीमा निश्चित की है । इसमें से राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम ने अभी तक (5-7-1991 तक) 7.3 लाख मीटरी टन गेहूं की सप्लाई करने के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये हैं जिनमें से 4.55 लाख मीटरी टन गेहूं निर्यात किया जा चुका है । 20 000 मीटरी टन गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिये भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अनुबंध किया है, लेकिन अभी तक इसकी कुछ भी मात्रा निर्यात नहीं की गई है । बासमती चावल का निर्यात "ओपन जनरल लाइसेंस" के आधार पर किया जाता है ।

(ग) मूल्य समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्पादकों को खाद्यान्नों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाते हैं । निर्यात के लिये खाद्यान्नों की मात्रा निर्धारित करने पर खुले बाजार में मूल्य बढ़ सकते है तथा रिकार्ड उत्पादन के बावजूद मूल्य गिरने पर नियंत्रण रखा जा सकता है जिसका लाभ भी उत्पादकों को मिलेगा ।

दक्षिण भारत जल ग्रिड का सृजन

*194. **श्री एन ई बलराम :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दक्षिण भारत की सभी प्रमुख नदियों को शामिल करके एक जल ग्रिड का सृजन करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करने का निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) डा० के० एल० राव द्वारा प्रस्तावित गंगा-कावेरी सम्पर्क को शुरू करने के बारे कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं । इस प्रस्ताव पर सरकार ने 1970 में विचार किया था किन्तु इसे तकनीकी रूप से असुरक्षित तथा लागत निषेधात्मक पाया गया था ।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जो जल संसाधन मंत्रालय के अधीन पंजीकृत सोसायटी है ने जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक पर अध्ययन शुरू किए हैं, जिसमें दक्षिणी राज्यों की नदियों के अन्तःसम्पर्कों की परिकल्पना की गयी है ताकि जल की कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष जल में से जल अन्तरित किया जा सके । ये अध्ययन प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं ।